

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक-AP.255 / न०नि०

सेवा में,

श्री. अशोक कुमार सिंह
पिता/श्री. रमेश कुमार सिंह एवं अन्य,
पता वीर नगर सिंह नगर, सत्याग्रह,
धनबाद।

धनबाद, दिनांक: 25 / 9 / 2017

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं० वी०डी० 133/16-17
सम्बन्धित आपके आवेदन दिनांक- 2.12.16 के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 2578 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 5631.1.16-17
जमाबंदी संख्या- 2441 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 16-17 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र
एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी वी०डी० केश नं०- 133/16-17 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध
निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि नामही-02 मौजा अन्तर्गत खाता नं०- 67
प्लॉट नं०- 1320 रकबा 1007.9.86 वर्ग भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री अशोक कुमार
की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को
कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 3 (तीन) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के
प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

भाड़ा भवन विनियमन क दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा
स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये
किये जा सकेगा। नवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रस्तावित भूमि पर भुराभित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।


जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य
सरकार/नेशनल विलिडिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 0.1% कुल रु० 4,25,050/- जमा किया गया है।

स्टक्चर डिजायन, सौदायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य
स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियन्ता रथल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात् ही आगे की
निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से
जमा कर देंगे।

भविष्य में भूमि संबंधी विवाद अथवा कागजातों में कोई गलत साबित होने पर या जिले के राजस्व शाखा एवं न्यायालय
द्वारा कोई अन्यथा आदेश पारित रहने/होने पर यह आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं तदनुसार नक्शे की स्वीकृति भी स्वतः
प्रभावित होगी।


कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन विभाग,

अगाडा, धनबाद।

